

18/3/25

परावली पेशी में भी गई। अधिवक्ता
पार्थी को सुना गया। अपार्षी वं
1, 2 के लिफाफे पूर्व में एक-पक्षीय
कार्यवाही अमल में आई जा चुकी
है। न्यायालय द्वारा जारी अपार्षी
आदेश दिनांक 10.10.2023 को
ता-कैतला वाद के CONFIRM
किया जाता है। आदेश सुनाया गया
परावली नंबर ले कम की जाकर
कार्यालय दफ्तार की जाती है।

सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
लुमानगढ़

